निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 99/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. जितेन्द्र पुत्र गिर्राज
2. राहुल पुत्र गिर्राज

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खूसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी फागी पीठासीन अधिकारी श्री गौरी शंकर शर्मा आर ए एस
2. रामकरण पुत्र सेवाराम
3. बाबूलाल पुत्र रामकरण
4. गिर्राज पुत्र रामकरण
5. रामेश्वर पुत्र रामकरण
6. मुकेश पुत्र रामकरण
7. राजेन्द्र पुत्र रामकरण
8. ममता पुत्री रामकरण

   समस्त जाति जाट निवासी खूसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
9. अर्पित विजयवर्गीय पुत्र गुणवत कुमार पंचोली जाति महाजन निवासी प्लाट नं॰ 6 फ्लेट नम्बर 310, महिमा टाउन, स्कावयर जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।
10. आर्ट इण्डिया एक्सोर्ट पता एच–344 ·ई.पी.आई.पी. सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर जरिये डायरेक्टर अर्पित विजयवर्गीय पुत्र गुणवत कुमार पंचोली जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 6 फ्लेट नम्बर 310 महिमा टाउन स्कावयर जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।
11. लतेश पंचोली पुत्र गुणवत कुमार पंचोली जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 6, फ्लेट नम्बर 310, महिमा टाउन स्कावयर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।
12. तहसीलदार फागी, जिला जयपुर ।
13. उप तहसीलदार/उप पंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 70/2020 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 56/2020 ब उनवानी जितेन्द्र व अन्य बनाम रामकरण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हनुमान सहाय सिहाग प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 11 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 22.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 70/2020 व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2020 ब उनवानी जितेन्द्र व अन्य बनाम रामकरण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थीगण काफी पैसे वाले व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है इसलिए उपखण्ड अधिकारी फागी उनके प्रभाव में है एवं किसी भी अन्य पत्रावली में सुनवाई नहीं कर उक्त पत्रावली में ही नजदीक नजदीक तारीख पेशी देकर उक्त पत्रावली को आनन फानन में प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णय पारित करने की पूरी सम्भावना है। चूंकि दिनांक 12.1.2020 को तारीख पेशी थी उसके बाद में 17.11.2020 तारीख पेशी दी गई एवं उसके बाद दिनांक 18.11.2020 तारीख पेशी दी गई एवं उसके बाद 24.11.2020 तारीख पेशी दी गई एवं दिनांक 24.11.2020 को पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुये अन्तिम बहस करने के लिए प्रार्थीगण के अधिवता को कहा कि मै तो आज ही बहस सुनुगा एवं मामले का निस्तारण करूंगा । जबकि सभी पत्रावलियों में सुनवाई नहीं कर आगामी पेशियां दी जा रही है। चूंकि अप्रार्थीगण 8 लगायत 11 काफी पैसे वाले कालोनाईजर होने से उनके प्रभाव में आकर उनको चैम्बर में ही बिठाते है एवं चाय पानी पिलाते है एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुमने हमारे पावर को हल्के में लिया है, तेरे केस को तो चुटकियों में खारिज करवा देंगे । मात्र प्रार्थीगण की पत्रावली में जनदीक नजदीक तारीख पेशियां दे कर प्रार्थीगण के अधिवक्ता पर दबाव बना कर पीठासीन अधिकारी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णय पारित करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही है। उक्त अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं के चैम्बर मे बुला कर बातचीत करना एवं अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 द्वारा प्रार्थीगण को धमकी देना की उक्त मुकदमें का निस्तारण हमारे पक्ष में करवा कर रहेंगे । तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हों। अप्रार्थीगण द्वारा एलानिया धमकी दिये जाने से काफी भयभीत है इसिलए न्यायहित में एक गरीब काश्तकार को अनावश्यक मुकदमें बाजी से बचाने के लिए उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश प्रदान करें। वर्तमान में कोविड 19 की वजह से अन्य पत्रावलियों में सुनवाई नहीं कर तारीख पेशियां ही दी जा रही है। मात्र प्रार्थीगण की पत्रावली में ही विशेष रूप से पत्रावली चैम्बर में मंगवा कर विशेष सुनवाई की जाती है। जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के रूतबे एवं राजनैतिक प्रभाव मे आकर जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे है उससे प्रार्थीगण को कतई न्याय मिलने की उम्मीद नही है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया गया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फागी मुख्यालय पर सहायक कलक्टर फागी का न्यायालय भी है जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकारान को असुविधा भी नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 70/2020 व टी आई संख्या 56/2020 ब उनवानी ब उनवानी जितेन्द्र व अन्य बनाम रामकरण व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में मुन्तकिल किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 11.01.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में उपस्थित हो।

सहायक कलक्टर फागी प्रकरण दर्ज कर उसी स्तर पर जिस पर पत्रावली विचाराधीन है उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी फागी एवं सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

22/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर